



**J.C. Bose University of Science & Technology, YMCA, Faridabad**

(A Haryana State Government University)

(Established by Haryana State Legislative Act No. 21 of 2009 & Recognized by UGC Act 1956 u/s 22 to Confer Degrees)

Accredited 'A' Grade by NAAC



क्रमांक:—...लेखा/4088

दिनांक:—...16/12/2020

### महत्वपूर्ण सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी फीस (सैमेस्टर/न्यू एडमिशन, इत्यादि) ऑन-लाईन माध्यम से ली जाती है। छात्रों/उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से फीस राशी का भुगतान किया जाता है और फिर फर्जी तरीके से या दोहरे भुगतान के कारण शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

अतः सभी छात्रों/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फीस का भुगतान करते समय साईबर-कैफ/अन्य किसी व्यक्ति के खाते का उपयोग ना करें। यदि तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान सफल नहीं होता है और उनके खाते से राशी काट ली जाती है, तो उन्हें निपटान के 48 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी यदि भुगतान सफल नहीं होता है, तो छात्रों/उम्मीदवारों को फिर से भुगतान करना चाहिए। यदि बाद की तारीख में दोनों लेन-देन सफल होते हैं, तो छात्रों/उम्मीदवारों से विश्वविद्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त फीस राशी 40 दिन के अन्दर-अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

*Manish*  
वित्त नियंत्रक 14-12-2020  
जे0सी0बोस विश्वविद्यालय,वाई0एम0सी0ए0  
फरीदाबाद।

प्रति:—

1. निजि-सहायक (कुल-पति/कुल-सचिव कार्यालय) को सूचनार्थ।
2. Controller of Examination
3. All Deans/Chairpersons
4. Dean, Academic Affairs
5. Sh.Ankit Pannu, System Analyst-with a request to upload the notice on the University website & ERP Portal.